

मिलिये को ld advocate को
यहाँ को/

20/11/18

09/10/18

19.11.20

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
जहाँ।

19.11.20

20.11.18

होना लड़कियों की हॉर में सज्जनी
की गई हैं। विपक्षी अनुपस्थित हैं।

आवेदन की गत मिली थी पट

माता अनुपस्थित रहें गत

वेदन में दिए निवेदन में

माला में पत्र है कि मपीन + मा

को मानने में कोई Interim

नहीं है। मतः वाद / आवेदन

खारिज निषेध जाता है।

Dismissed.

20/11/18

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
जहाँ।